रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 19, 2018/आषाढ़ 28, 1940
No. 274] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 19, 2018/ASHADHA 28, 1940

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नोएडा, 2 जुलाई, 2018

सं. 03/भाअजप्रा/स्था./09/2017.—भारतीय अंतर्दे ीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 1982) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय अंतर्दे ीय जलमार्ग प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात् :

I. सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) ये विनियमन भारतीय अंतर्दे ीय जलमार्ग प्राधिकरण भर्ती, वरिश्ठता और प्रोन्नति (अठारहवां सं ोधन) विनियमन, 2018 कहे जायेंगे।

(ii) ये भारत के राजपत्र में प्रका ान की तिथि से प्रभावी होंगे।

II. भारतीय अंतर्दे ीय जलमार्ग प्राधिकरण भर्ती, वरिश्ठता और प्रोन्नति विनियमन, 1992 में वरिश्ठ जलीय सर्वेक्षक के पद का प्रतिस्थापन निम्नानुसार होगा :—

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड (पीबी) तथा ग्रेड पे (जीपी)/ वेतनमान	क्या चयनित पद है अथवा अचयनित पद	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित ैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु और भौक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति पर लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है	सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती का तरीका तथा विभिन्न तरीकों के जरिये रिक्त पदों को भरे जाने का प्रति ात क्या है?	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के जरिये भर्ती के मामले में किस ग्रेड से प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो संघटन क्या है?
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
वरिश्ठ जलीय सर्वेक्षक	4* (2017) *कार्यभार के अनुरूप परिवर्तनीय	समूह 'क'	7वें के.वे.आ. के पे मैट्रिक्स का लेवल 11 (पूर्व सं ोधित पे बैंड –3 रु० 15600–39100 ग्रेड पे रु० 6600)	चयन	आयु 40 वर्श से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदे ों अथवा आदे ा के अनुसार सरकारी/ स्वायत्त/ सांविधिक संगठनों/ पीएसयू के	**अनिवार्य :** जलीय सर्वेक्षण में 5 वर्श के अनुभव के साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा नेवल वाच कीपिंग प्रमाणपत्र के साथ भारतीय नेवी के सर्वेक्षक श्रेणी–I/II अथवा दो वर्श के क्षेत्रीय सर्वेक्षण अनुभव सहित महानिदे ाक (पोत परिवहन) द्वारा जारी सर्वेक्षण	आयु : नहीं अर्हताएं: हां	सीधी भर्ती के लिए एक वर्श	प्रोन्नति, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति** 5 वर्श की नियमित सेवा सहित सहायक जलीय सर्वेक्षक अथवा सहायक जलीय सर्वेक्षक एवं कनिश्ठ जलीय सर्वेक्षक के रूप में 12 वर्श की संयुक्त सेवा जिसमें से 7वें के.वे.आ. के पे मैट्रिक्स के लेवल–10 में सहायक जलीय सर्वेक्षक के रूप में 02 वर्श की सेवा की हो । प्रतिनियुक्ति	सदस्य (तकनीकी), जलीय प्रमुख, मुख्य अभियंता

					कर्मचारियों के लिए 5 वर्श तक की छूट)	प्रमाणपत्र में दूसरी विभागीय परीक्षा के साथ मास्टर ग्रेड–I का प्रमाणपत्र। **<u>वांछनीय</u>** 1. भौगोलिक सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर प्रचालन का ज्ञान 2. नाविक मानचित्र कला का ज्ञान।				(क) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किया हो अथवा 7वें के.वे.आ. के पे मैट्रिक्स के लेवल–10 में नियमित आधार पर 5 वर्श तक सेवा की हो। (ख) कॉलम–7 में सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता रखता हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य तौर पर 3 वर्श से अधिक नहीं होगी)	

अजय कुमार गुप्ता, सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./145/18]

टिप्पणी : भारत के राजपत्र में दिनांक 26.08.1992 को संख्या–6–भाअजप्रा/स्था./4/90 के तहत प्रकाि ात भारतीय अंतर्दे ीय जलमार्ग प्राधिकरण भर्ती, वरिश्ठता और प्रोन्नति विनियमन, 1992 प्रमुख विनियमन है। दिनांक 09.07.1993, 15.07.1993, 10.09.1994, 14.08.2004, 11.03.2010, 19.02.2011, 05.11.2011, 16.06.2015, 17.06.2015, 04.12.2015, 16.03.2016, 22.03.2017, 02.08.2017, 06.10.2017, 13.12.2017, 17.01.2018 तथा 10.05.2018 को जारी अधिसूचनाओं के जरिये अनुवर्ती सं ोधन किये गये।

INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

NOIDA, the 2nd July, 2018

No. 03-IWAI/Estt./09/2017.—In exercise of the powers conferred by Section 35 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (1982 of 1985), with the previous approval of the Central Government, the Inland Waterways Authority of India hereby makes the following regulations, viz:

I. GENERAL

1. Short Title and Commencement:

(i) These regulations shall be called the Inland Waterways Authority of India Recruitment, Seniority and Promotion (Eighteenth Amendment) Regulations, 2018.

(ii) They shall be deemed to have come into force from the date of publication in the Gazette of India.

II. In the Inland Waterways Authority of India Recruitment, Seniority and Promotion Regulations, 1992, to the post of Senior Hydrographic Surveyor (SHS) shall be substituted as follows :—

Name of post	No. of post(s)	Classifi-cation	Pay Band (PB) and Grade Pay (GP) / Pay Scale	Whether selection post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Educa-tional qualifica-tions prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruits or by promotion or by deputation/absorp-tion and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/depu-tation/absorption, grades from which promotion/depu-tation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Senior Hydro-graphic Surveyor	4 * (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Level 11 in the Pay Matrix of 7th CPC (Pre Revised PB-3 Rs.15600-39100 + GP Rs.6600)	Selection	Not exceeding 40 years (relaxable for Govt. servants/ employees of Autonomous/ statutory organization/ PSUs upto 5 years in accordance with the instructions/ orders issued by the Central Government)	**<u>Essential</u>:** Degree in Civil Eng. With 5 years' experience in Hydrographic Survey; Or Surveyor Class I/II of Indian Navy with Naval watch keeping certificate Or Master Gr. I certificate with 2nd Departmental Exam in Survey (certificate issued by DG Shipping) with Two years field survey experience.	Age: No Qualification : Yes	One year for direct recruits	Promotion; failing which by deputation failing both by Direct Recruitment.	**Promotion:** Assistant Hydrographic Surveyor with 5 years regular service, Or Combined Service of 12 years in the post of Assistant Hydrographic Surveyor and Junior Hydrographic Surveyor, out of which 02 years service as Assistant Hydrographic Surveyor in Level 10 of the Pay Matrix of the 7th CPC.. **Deputation:** (a) Holding analogous posts on regular basis; OR Holding post on	Member (Technical), Hydrographic Chief, Chief Engineer

						Desirable: 1. Knowledge of Geographical Information System Software and computer operation. 2. Knowledge of Nautical Cartography.				regular basis in the Level 10 in the Pay Matrix of 7th CPC with 5 years regular service in the grade (b) Possessing educational qualifications required for direct recruits in Col.7 (Period of deputation shall not ordinarily exceed 3 years)	

A.K. GUPTA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./145/18]

Foot Note : Inland Waterways Authority of India Recruitment, Seniority and Promotion Regulations, 1992, published in the Gazette of India on 26.08.1992, vide No. 6-IWAI/Estt./4/90 are the principal regulations. Subsequent amendments carried out vide Notifications dated 09.07.1993, 15.07.1993, 10.09.1994, 14.08.2004, 11.03.2010, 19.02.2011, 05.11.2011, 16.06.2015, 17.06.2015, 04.12.2015, 16-03-2016, 22-03-2017, 02-8-2017, 06-10-2017, 13-12-2017, 17.01.2018 and 10.05.2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.07.24 15:53:01 +05'30'